न्यायालय :: अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 83/2026
प्रथम सूचना संख्या 156/2026, पुलिस थाना कुचामन सिटी

मनोज कुमार पुत्र मगनीराम, निवासी खातियों का मोहल्ला, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

—— अभियोगी

–:: उपस्थिति ::–

1-	श्री श्यामलाल कुमावत	–	अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।
2-	श्री मनीष शर्मा	–	अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट

दिनांक :– 05–06–2026

–:: आदेश ::–

1. प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा, 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य फर्द जब्ती के अनुसार इस प्रकार से है कि दिनांक 29–05–2026 को थानाप्रभारी, पुलिस थाना कुचामन सिटी महावीर प्रसाद मय जाब्ता थाना से रवाना होकर गश्त करते हुये 11:28 पी.एम. पर बुड़सू चौराये के पास पहुंचे तो सामने से एक मोटरसाईकिल दिखाई दी। उक्त मोटरसाईकिल का चालक पुलिस जाब्ते को देखकर घबरा गया।

उसे घबराने का कारण पूछा तो उसने अपने पास अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) होना बताया। उसको नाम–पता पूछा तो अपना नाम मनोज कुमार पुत्र मगनीराम, निवासी खातियों का मोहल्ला, कुचामन होना बताया। उक्त व्यक्ति के पास अवैध मादक पदार्थ होने की प्रबल संभावना होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उक्त व्यक्ति की तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट के दाहिने जेब में एक आसमानी रंग की थैली/गांठ बंधी हई मिली। उक्त थैली को खोलकर चैक किया तो उसमें हेरोईन(चिट्टा) होना पाया गया। उक्त पैकेट का प्लास्टिक थैली सहित वजन किया गया तो कुल वजन 6.3 ग्राम होना पाया गया। अभियुक्त से अपने कब्जे में मादक पदार्थ रखने का लाईसेंस व अनुज्ञा–पत्र बाबत् पूछा गया तो नहीं होना बताया, जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मनोज कुमार ने अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) मुकेश से क्रय करके आगे बीरबल को विक्रय करना बताया।

3. तत्पश्चात् नियमानुसार मौका कार्यवाही पूर्ण कर उक्त कार्यवाही के आधार पर पुलिस थाना कुचामन सिटी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 156/2026 अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त मनोज कुमार के विरूद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या तथ्यों के आधार पर आलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है एवं न ही प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक होकर लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त के लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके व उनके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा लगायी जाने वाली तमाम शर्तों व नियमों की पालना करने को तैयार है तथा माफिक आदेशानुसार मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें रिहा किए जाने का निवेदन किया है।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त के चैतन्य एवं अनन्य कब्जे से हेरोईन(चिट्टा) अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। इसलिये अपराध की गम्भीरता को देखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार से हैः–

क.सं.	प्रथम सूचना संख्या	पुलिस थाना	अपराध धारा	स्टेज
–	–	–	–	–

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) कुल वजन 6.3 ग्राम बरामद किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा सह–अभियुक्त मुकेश से उक्त अवैध मादक पदार्थ क्रय करके आगे सह–अभियुक्त बीरबल को विक्रय किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) की सप्लाई करने, खरीदने एवं विक्रय करने का गम्भीर आरोप है। वर्तमान में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन व सेवन के अपराधों में बढोतरी हुई है। अवैध मादक पदार्थों के सेवन से युवा पीढी आदर्श जीवन मूल्यों को छोड़कर दिग्भ्रमित होकर अपराध की ओर बढ रही है, जिससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

9. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, बरामद मादक पदार्थ हेरोईन (चिट्टा) की मात्रा, प्रार्थी/अभियुक्त के उक्त अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई एवं बिक्री करने के प्रकट तथ्य एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

::–आदेश::–

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मगनीराम, निवासी खातियों का मोहल्ला, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन, जिलाः डीडवाना–कुचामन की ओर से प्रथम सूचना संख्या 156/2026, पुलिस थाना कुचामन सिटी के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(कुसुम सुत्रकार)

अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

11. आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

::– प्रमाण–पत्र::–

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड़ करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिप न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।